संख्या-28/2021/1109जेएल/22-3-2021-100(14)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः29 जून, 2021

विषय- जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मोहम्मद सईद पुत्र श्री हामिद खां, निवासी-उदयपुर, थाना-अमरहिया, जनपद-पीलीभीत को उपचार के दृष्टिगत जिला कारागार बाराबंकी स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-14491/सामा-1(5)/जि0का0 बलरामपुर/ 2021, दिनांक 17-06-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधान के अनुसार जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मोहम्मद सईद पुत्र श्री हामिद खां, निवासी-उदयपुर, थाना-अमरहिया, जनपद-पीलीभीत को उपचार के दृष्टिगत जिला कारागार बाराबंकी में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-28/2021/1109जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर/बाराबंकी।
4- पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर/बाराबंकी।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बलरामपुर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार बलरामपुर से जिला कारागार बाराबंकी में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in